मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक सी/3-17/2009/1/3 भोपाल, दिनांक 1/7/2010

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष,राजस्व मंडल, म.प्र.ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्य प्रदेश ।

विषय:- कार्यभारित तथा आकस्मिकता सेवा में कार्यरत कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को अनुकंपा अनुदान की राशि में वृद्धि ।

संदर्भ:- इस विभाग का ज्ञाप क्रमांक सी-3-4/1/3/2006 दिनांक 18.8.08

उपर्युक्त संदर्भित परिपत्र की कंडिका 12.1 में प्रावधान है कि कार्यभारित/आकस्मिकता निधि से वेतन पाने वाले एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के दिवंगत होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को अनुकंपा नियुक्ति की पात्रता नहीं होगी, परन्तु परिवार के आश्रित नामांकित सदस्य को एकमुश्त रूपये एक लाख की राशि अनुकंपा अनुदान के नाम से दी जाएगी ।

2/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि उपर्युक्त कंडिका 12.1 में उल्लेखित अनुकंपा अनुदान की राशि रूपए एक लाख के स्थान पर रूपए 1.25 लाख (एक लाख पच्चीस हजार) की जाए । शेष कंडिका यथावत् रहेगी ।

3/ यह निर्देश जारी होने के दिनांक से लागू होगें ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार
1/7/2010
(अकीला हशमत)
उप सचिव
मध्य प्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग

— 2 — निरंतर

लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश

गौतम नगर, भोपाल 462021
दूरभाष 91–0755–2583650 फेक्स 2583651 ई–मेल **dpimp@sancharnet.in**

पृ0क्रमांक : स्था–4 / सी / अनु.नियु. / [redacted]. / 283 / 07–2010 / 1147 भोपाल, दिनांक 26/8/10

प्रतिलिपिः–

1. उप सचिव, म.प्र. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर आपके परिपत्र क्रमांक / सी / 3–17 / 2009 / 1 / 3, दिनांक 01.07.2010 के अनुक्रम में सूचनार्थ प्रेषित् । ।
2. उप सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, अरेरा हिल्स, भोपाल ।
4. समस्त कलेक्टर, म.प्र. ।
5. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत / जनपद पंचायत, म.प्र. ।
6. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण, म.प्र. ।
7. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, म.प्र. ।
8. स्थापना–4 कक्ष टेबल–एच (दैनिक वेतन भोगी से संबंधित) स्थानीय ।

E.mail

संचालक द्वारा अनुमोदित

(आर.के. डेकाटे)
सहायक संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

Let2010-anukampa